HUMAN RIGHTS WATCH
350 Fifth Avenue, 34th Floor
New York, NY 10118-3299
Tel: 212-290-4700
Fax: 212-736-1300

HUMAN RIGHTS WATCH

www.hrw.org

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA DIVISION
Sarah Leah Whitson, *Executive Director*
Joe Stork, *Deputy Director*
Eric Goldstein, *Deputy Director*
Christoph Wilcke, *Senior Researcher*
Nadim Houry, *Senior Researcher*
William Van Esveld, *Researcher*
Heba Morayef, *Researcher*
Rasha Moumneh, *Researcher*
Samer Muscati, *Researcher*
Amr Khairy, *Arabic translation coordinator and web editor*
Rana Abou Salman, *Development and Outreach Manager*
Faraz Sanei, *Researcher*
Priyanka Motaparthy, *Sandler Fellow*
Noga Malkin, *Research Assistant*
David Segall, *Associate*
Adam Coogle, *Associate*

ADVISORY COMMITTEE
Hassan Elmasry, *Co-Chair*
Kathleen Peratis, *Co-Chair*
Bruce Rabb, *Vice Chair*
Gary G. Sick, *Vice Chair*
Gamal Abouali
Wajeha Al Huwaider
Ghanim Alnajjar
Lisa Anderson
Shaul Bakhash
Asli Bali
M. Cherif Bassiouni
David Bernstein
Robert Bernstein
Nathan Brown
Paul Chevigny
Ahmad Deek
Mansour Farhang
Loubna Freih
Fadi Ghandour
Aeyal Gross
Amr Hamzawy
Rita E. Hauser
Salah al-Hejailan
Prince Moulay Hicham
Robert James
Mehrangiz Kar
Edy Kaufman
Marina Pinto Kaufman
Ann M. Lesch
Robert Malley
Ahmed Mansoor
Stephen P. Marks
Rolando Matalon
Habib Nassar
Abdelaziz Nouaydi
Nabeel Rajab
Victoria Riskin
Charles Shamas
Sid Sheinberg
Mustapha Tlili
Andrew Whitley
James Zogby

२२ नंवबर २०१०

महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल
राट्रपति, भारत गणराज्य

फैक्सः (०११)२३०१७२९०; (०११) २३०१७८२४

महामहिम,

हमें यह ज्ञात हुआ है कि आप इस सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी यात्रा पर आ रही हैं और अपने इस प्रवास के दौरान आप एक नए आप्रवासी भारतीय कामगार संसाधन केन्द्र का उद्घाटन करेंगी। यह केन्द्र भारतीय कामगारों की शिकायतों से संबंधित आवेदनों पर निगरानी रख कर और उन्हें चौबीसों घंटे की हॉट लाइन सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करेगा। जबकि परेशानियां झेल रहे कामगारों के लिए राहत संबंधी उपाय करना एक महत्वपूर्ण उपाय सिद्ध होगा, वहीं ह्यूमन राइट्स वाच आपसे यह अनुरोध करता है कि आप इस महत्वपूर्ण अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से ऐसे कानूनी और नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए अनुरोध करें जिनसे यहां रह रहे भारतीय कामगारों के अधिकारों को बेहतर रूप में संरक्षण प्रदान किया जा सके।

हम विशेष रूप में आपसे यह अनुरोध करते हैं कि आप प्रवासी कामगारों को शोषण से बचाने के लिए, जिसके लिए ह्यूमन राइट्स वाच गत पांच से भी अधिक वर्षों से प्रयास कर रहा है, नीचे उल्लिखित सार्थक उपायों को करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से निवेदन करें । सुंयक्त अरब अमीरात के संघीय श्रम कानून के अंतर्गत कामगारों से वीजा और यात्रा शुल्क वसूल करने पर रोक सहित उन्हें अनेक संरक्षण प्रदान किए गए हैं किन्तु इन कानूनों को लागू करने की दिशा में कोई खास प्रयास नहीं किया गया है। संपूर्ण संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों द्वारा झेली जा रही परेशानियों में उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान न किया जाना, कार्य की असुरक्षित दशाएं जिनके कारण कामगारों की मृत्यु तक हो जाती है या वे बीमार पड़ जाते हैं, कामगार कैंपों में कामगारों द्वारा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में निवास करना, पासपोर्ट तथा यात्रा दस्तावेजों को जब्त कर लेना आदि शामिल हैं। महिला घरेलू कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान प्राप्त न होना, भोजन से वंचित रखना, कार्य की लंबी अवधि, कार्य

परिसर में बलात बंद करके रखना तथा शारिरिक या यौन शोाण का शिकार बनाना तथा संयुक्त अरब अमीरात के श्रम कानूनों द्वारा उन्हें संरक्षण प्राप्त न होना, आदि जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले माह संयुक्त अरब अमीरात के श्रम मंत्री सकर घोबास सईद घोबास ने यह घोाणा की कि सरकार अवरोधक काफला या आप्रवास प्रायोजित करने की प्रणाली को समाप्त नहीं करेगी जिसके अंतर्गत अपनी नौकरी बदलने के इच्छुक कामगारों के लिए अपने प्रायोजनकर्ता नियोजक से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है - चाहे नियोजक ने कामगार के अधिकारों का हनन क्यों न किया हो।

ह्यूमन राइट्स वाच संयुक्त अरब अमीरात में निर्माण कार्य में लगे कामगारों के मानवाधिकार के उल्लंघन और उनके द्वारा झेली जा रही परेशानियों के संबंध में विस्तार से रिपार्टें प्रकाशित करता रहा है। जैसाकि २००६ में प्रकाशित हमारी रिपोर्ट बिल्डिंग टावर्स, चीटिंग वर्कर्स " तथा २००९ की रिपोर्ट " द आइलैंड ऑफ हैप्पीनेश" से स्पट होता है, जिसकी प्रतियां आपके आवलोकन हेतु संलग्न हैं। २०१० में दुबई, शारजाह और आबुधाबी में किए गए अनुवर्ती अनुसंधान, जिसमें भारतीय निर्माण कामगारों और शारीरिक कामगारों से बातचीत की गई थी, से यह ज्ञात हुआ कि कामगार भर्ती शुल्क के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान करते हैं और वे अपनी इच्छा अनुसार काम को बदल या छोड़ नहीं सकते।

१. भर्ती शुल्कः कामगारों से उनके गृह देश में भर्ती एजेंटों द्वारा भर्ती शुल्क के रूप में एक बड़ी राशि वसूली जाती है जिसका भुगतान वे कर्ज लेकर करते हैं और जो बलात श्रम की स्थितियां सृजित करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इस मामले को पहली प्राथमिकता देने का अनुरोध करते हुए हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि भारत में भर्ती एजेंसियों को संयुक्त अरब अमीरात में काम करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में कामगारों से यात्रा, वीजा, रोजगार अनुबंध, या किसी भी अन्य कारण से शुल्क वसूल करने पर रोक लगा दी जाए। जब तक ये कामगार कर्ज के भारी बोझ से दबे हैं और वे शोाण करने वाले अपने प्रायोजनकर्ता नियोजकों, जो कामगारों की दयनीय स्थिति का भरपूर शोाण करते हैं, के निर्बाध नियंत्रण में हैं तब तक संयुक्त अरब अमीरात में कार्य कर रहे बहुसंख्यक भारतीय कामगारों के अधिकारों पर खतरा मंडराता रहेगा। हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि आप संयुक्त अरब अमीरात और भारत में भर्ती एजेंसियों के साथ व्यवसाय करने वाली ऐसी कंपनियों जो अमीरात के कानूनों का उल्लंघन करते हुए कामगारों से शुल्क वसूल करती हैं, पर रोक लगाने के लिए तथा कानून का उल्लंघन करने वाले नियोजकों और भर्ती एजेंसियों पर अभियोजन चलाने और उन पर पर्याप्त दंड आरोपित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों से बातचीत करें।

२. कामगारों के पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा प्रवर्तनः वर्ा २००८ के अंत में आरंभ हुए वित्तीय संकट के कारण गत दो वर्ों के दौरान अनेक प्रवासी कामगारों की स्थिति और अधिक दयनीय हुई है। आपकी सरकार द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में दस हजार से भी अधिक भारतीय कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। जिन कुछ कामगारों से हमने बातचीत

की उन्होंने बताया कि कुछ नियोजकों ने उन्हें कम वेतन और लाभ पर काम करने या फिर नौकरी छोड़ देने के लिए बाध्य किया। वर्ा २००९ में शुरू की गई अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली लागू किए जाने, जिसके अंतर्गत कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों का वेतन सीधे लाइसेंस युक्त बैंकों में जमा करा दिया जाना अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेतन में कोई गैर कानूनी कटौती किए बिना कामगारों को समय से वेतन मिले, के बावजूद कामगारों ने पारिश्रमिक भुगतान न होने की शिकायत की। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से यह अनुरोध करें कि प्रवासी कामगारों के साथ निजी क्षेत्र द्वारा किए गए व्यवहार पर निगरानी रखने के लिए उत्तरदायी निरीक्षकों, जो कामगारों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान न करने सहित उनके अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर सार्थक और उपयुक्त मात्रा में दंड आरोपित करने में सक्षम हों, की प्रयाप्त संख्या में नियुक्ति करें।

३. पासपोर्ट जब्त करनाः लगभग सभी नियोजक समान रूप से सभी कर्मचारियों के पासपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात में उनके पहुंचते ही जब्त कर लेते हैं, जिसके लिए प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि ऐसा कर्मचारियों के दस्तावेज को " सुरक्षित" रखने के लिए किया जाता है जबकि इस संबंध में अमीरात के एक न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसा करना गैर कानूनी है। पासपोर्ट जब्त करने से नियोजकों का अपने कर्मचारियों पर काफी अधिक नियंत्रण बना रहता है। कुछ कामगारों ने यह शिकायत की है कि कंपनियां उन्हें अपने संबंधियों के विवाह या अंत्य क्रिया में भाग लेने के लिए भी उन्हें स्वदेश जाने के लिए पासपोर्ट लौटाने से मना कर देती हैं। जबकि संयुक्त अरब अमीरात के कानून और अंतरराट्रीय कानून के अंतर्गत भी पासपोर्ट को जब्त करना निाद्ध है, तथा इसे आने-जाने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है, संयुक्त अरब अमीरात के कानून भी पासपोर्ट को जब्त करना एक गलत अभिप्राय की संज्ञा देते हैं, कंपनियों पर "फरार" कामगारों का वीजा रद्द करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से अनुरोध करने में विफल रहने के लिए भारी दंड लगाया जाता है, तथा स्वीकृत रद्दीकरण की प्रकिया यह है कि कंपनियां अपने कामगारों का पासपोर्ट वहां के आंतरिक मंत्रालय में जमा करा दें । चूंकि भारतीय नागरिक होने के कारण संबंधित कामगार का पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए अमीरात के प्राधिकारियों से बातचीत करें कि ये दस्तावेज उनके धारकों के पास रहें न कि उनके नियोजकों के अधिकार में।

४. प्रवासी घरेलू कर्मचारियों को श्रम कानून के अंतर्गत प्रदत्त संरक्षणः हम यह भी आशा करते हैं कि आप इस दौरे के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय घरेलू कर्मचारियों की दुर्दशा पर भी ध्यान देंगी। संयुक्त अरब अमीरात के श्रम कानूनों में विशेा रूप से घरेलू कर्मचारियों को इनके प्रावधानों से अलग रखा गया है। काम के घंटों को सीमित करने, न्यूनतम पारिश्रमिक देने, समयोपरि कार्य हेतु भुगतान, और अनिवार्य छुट्टियों के संबंध में कानूनी संरक्षण से उन्हें वंचित रखा गया है। घरेलू कर्मचारियों को श्रम कानूनों से अलग रखने, अपनी शिकायतों को श्रम मंत्रालय की बजाय आंतरिक मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत

करने की अपेक्षा के कारण उन्हें ऐसी स्थिति में और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है जबकि नियोजक उनके अधिकारों का उल्लंधन करते हैं । संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा घरेलू कर्मचारियों को देश के श्रम कानूनों के अंतर्गत सरंक्षण प्रदान करके और उन्हें श्रम मंत्रालय के प्राधिकारी के अधीन रखकर ऐसे सभी संरक्षण प्रदान किए जाएं जो कि अन्य कामगारों को उपलब्ध हैं।

हालांकि कामगारों द्वारा अधिकांश कठिनाइयां निजी नियोजकों द्वारा उत्पन की जाती हैं, किन्तु अमीरात की सरकार द्वारा इस संबंध में कानूनों के ऐसे उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए या देश के श्रम कानून को लागू कराने के लिए प्रयाप्त उपाय नहीं किए गए हैं। हमारा मानना है कि संयुक्त अरब अमीरात में इतनी अधिक संख्या में प्रवासी भारतीयों के काम करने के कारण आपको एक ऐसा मंच प्राप्त हो जाता है जहां से आप लाखों बेजुबान प्रवासी कामगारों - जो भारत से भी हैं और अन्य देशों से भी हैं और जिनके संयुक्त अरब अमीरात में आधारभूत मानवाधिकारों का एक व्यवस्था के अधीन हनन किया जा रहा है, की ओर से आवाज उठा सकें।

आपकी,

सारा ली विट्सन
कार्यपालक निदेशक
मध्यपूर्व और उत्तर अफ्रीकी प्रभाग